

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान  
लाइब्रेरी एवेन्यु, नई दिल्ली-110012

फा.सं. 20(17)/2013-प्र.-।

दिनांक : 01.01.2018

परिपत्र

**विषय: वर्ष 2017 (as on 01.01.2018) को समाप्त अवधि के दौरान अचल सम्पत्ति की रिटर्न ।**

In accordance with the provisions of Clause (II) of Rule 18(1) of the CCS (Conduct) Rule 1964 के अनुसार संस्थान के ऐसे सदस्य, जो ग्रुप ए, बी एवं सी तथा इससे उच्च वर्ग की सेवा में कार्यरत हैं, को पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद हर 12 महीने के अन्तराल पर, प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को, अपनी उस अचल सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो उसने स्वयं प्रस्तुत की है, उसे वंशानुगत रूप से मिली है अथवा उसने लीज पर ली है या फिर कोई भी सम्पत्ति अपने नाम पर अथवा अपनी पत्नी, बच्चों, सौतेले बच्चों अथवा अपने परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य के नाम, जो उसे पर पूरी तरह से आश्रित है, के नाम पर, गिरवी रखी है ।

संस्थान के उन सभी सदस्यों, जो ग्रुप ए, बी एवं सी, में कार्यरत हैं, उनसे अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना संलग्न प्रपत्र में भर कर दिनांक 01 जनवरी, 2018 या उसके बाद अधिकतम दिनांक 16.01.2018 तक सम्बंधित प्रशासन अनुभाग में भेज दें । कृपया उस कार्यालय आदेश की संख्या और तिथि का भी उल्लेख करें जिसके जरिए उन्हें सम्पत्ति खरीदने व बेचने की अनुमति दी गई थी । यदि सूचना शून्य है तो भी उसका उल्लेख प्रपत्र में अवश्य कीजिए तथा साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि परिषद के पत्र संख्या 95 (1)/2014-पर्सनल-III दिनांक 10.01.2014 के निर्देशानुसार '**Vigilance clearance can be denied to an officer on account of non-submission of annual immovable property return**'.

संस्थान के उन सभी सदस्यों, जो ग्रुप ए, बी एवं सी, में कार्यरत हैं, उनसे अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना संलग्न प्रपत्र में भर कर दिनांक 16.01.2018 तक सम्बंधित प्रशासन अनुभाग में भेज दें जिसमें वर्ष 31.12.2017 के अन्त में खरीदी गई सम्पत्ति का विवरण भी शामिल हो जोकि वर्ष 01.01.2018 के आरंभ में भी उनके पास हो । यह सूचना दिनांक 1 जनवरी, 2018 के बाद तथा अधिकतम तिथि 16 जनवरी, 2018 तक पूर्ण रूप से सम्बन्धित प्रपत्र में भरकर सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभागों में अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए ।

( चन्द्र वल्लभ )

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :-

1. निदेशक कार्यालय, भा.कृ.सां.अ.सं.
2. कार्यालय प्रधान/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी के निजी सहायक, भा.कृ.सां.अ.सं.
3. ओ.एम.वी. एकक, भा.कृ.सां.अ.सं.।
4. समस्त प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/एकक/प्रभारी, को इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि इस परिपत्र के विषय में अपने सभी अधीनस्थ कर्मियों को अवगत करायें ।
5. प्रभागाध्यक्ष संगणक अनुप्रयोग से अनुरोध है वे कृपया इस परिपत्र तथा संलग्न प्रपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित करें ।
6. प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय, एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स, नई दिल्ली को अग्रिम कार्रवाई हेतु ।
7. सचिव, आई.जे.एस.सी., भा.कृ.सां.अ.सं.।
8. प्रशासन ॥ अनुभाग को इस अनुरोध है कि तकनीकी कर्मियों से अपेक्षित सूचना लेकर इस अनुभाग के पास दिनांक 23.01.2018 तक अवश्य प्रस्तुत करें ।

**ANNUAL IMMOVABLE PROPERTY RETURN**

Statement of immovable property for the year 2017 CAs on 01-01-2018)

1. Name of Officer (in full) and service to which the officer belongs
2. Present Post held
3. Present Pay

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name of District, Sub-Division, Taluk and village in which property is situated	Name and details of property	*Present Value	If not in own name state in whose name held and his/her relationship to the Government Servant	How acquired whether by purchases, lease**, mortgage inheritance, gift, or otherwise, with date of acquisition and name with details of person/ persons from whom acquired	Annual income from the property	Remarks
	Housing and other buildings					
	Lands					

Signature.....

Date.....

Inapplicable clause to be struck out.

- Increase where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.
- Includes short-term lease also.
- The wording 'No Change or No addition or as in previous year' may be avoided and all details filled up.
- Note- The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class I and Class II (Group 'A' and Group 'B') services under Rule 15(3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1955(now Rule 18(1) of the CCS(Conduct) Rules, 1964), on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of an other person.